270

संख्या- 3690A/IX-2-2013-12(39)/2006

प्रेषक,

मनोज चन्द्रन
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक
उत्तराखण्ड, देहरादून.

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2 **देहरादून** **दिनांक 25 अक्टूबर, 2013**

विषयः- अनुदान सं0-27 के आयोजनागत पक्ष की केन्द्र पुरोनिधानित योजना "इन्टेंसिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेन्ट योजना" के राजस्व पक्ष के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 की वित्तीय स्वीकृति.

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार के पत्र सं0-3-8/2013-FPD दिनांक 08 जुलाई, 2013 एवं तद्क्रम में अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र सं0-नि. 113/3-6(आई0एफ0एम0एस0) दिनांक 18 जुलाई, 2013 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में भारत सरकार द्वारा वार्षिक कार्य योजना के अधीन वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिये उत्तराखण्ड में वनों की सुरक्षा हेतु इन्टैसिफिकेशन आफ फारेस्ट मैनेजमेन्ट योजना (90 प्रतिशत केन्द्र पुरोनिधानित) जिस की कुल अनुमोदित लागत ₹ 434.87 लाख है, हेतु अवमुक्त प्रथम किश्त ₹ 313.10 लाख के सापेक्ष समतुल्य राज्यांश की धनराशि (10 प्रतिशत राज्यांश) एवं गत वर्ष की अव्ययित धनराशि ₹ 13.77 लाख को सम्मिलित करते हुये संलग्न बी0एम0 प्रपत्र -9 पर उल्लिखित विवरणानुसार पुनर्विनियोग करते हुये चालू वित्तीय वर्ष में राजस्व पक्ष में **₹ 2,68,39,000/-(₹ दो करोड़ अड़सठ लाख उन्तालीस हजार मात्र)** की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति का उपयोग भारत सरकार के उपरोक्त पत्र द्वारा दिये गये निर्देशानुसार व्यय किया जायेगा एवं भारत सरकार द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना/लागत के अनुसार ही कार्यों का क्रियान्वयन किया जायेगा।

(2) उक्त धनराशि वर्णित योजना हेतु सक्षम स्तर से अनुमोदित कार्य योजना अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों/मदों पर ही व्यय किया जाय और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग अन्य कार्यों के क्रियान्वयन के लिए न किया जाय.

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू योजनाओं पर ही किया जाये तथा विभिन्न मदों में व्यय से पूर्व वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-284/XXVII(1)/2013 दिनांक 30 मार्च, 2013 तथा शासनादेश संख्या 413/XXVII(1)/2013 दिनांक 10 जून 2013 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाय. शासन द्वारा वांछित सूचनायें एवं विवरण निर्धारित प्रारूप व समयबद्ध आधार पर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1(वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1(लेखा नियम), वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-7, आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2008, तथा समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा जारी वित्तीय नियमों/शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय.

(4) बजट प्राविधान किसी भी लेखा शीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है. अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय.

(5) आहरण वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण बी0एम0-17 पर प्रत्येक माह प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा.

(6) बी0एम0-08 पर नियमित रूप से प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग को विलम्बतम 05 तारिख तक पूर्ण माह की सूचना उपलब्ध कराई जाय.

(7) यह संज्ञान में आया है कि धनराशि विभागाध्यक्षों के निवर्तन पर रखने के उपरान्त भी विभागाध्यक्षों द्वारा वह धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों के निवर्तन पर नहीं रखी जाती है, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर व्यय हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं होती है. अतः आपके निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय, जिससे की फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो, परन्तु यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि धनराशि का आहरण वास्तविक मांग आधार पर किश्तों में किया जाय.

क्रमशः.......2.....

(8) अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय को फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) प्रशासनिक विभाग एवं वित विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा, जिससे की राज्य स्तर पर कैश-फ्लो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो.

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को वर्षान्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चि किया जाय.

(10) व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है. अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय.

(11) योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जाये तथा जहां आवश्यकता हो सक्षम अधिकारी/शासन की पूर्व सहमति/स्वीकृति ली जाय.

(12) धनराशि का आहरण/व्यय यथा आवश्यकता ही किया जायेगा.

(13) यह भी सुनिश्चित किया जाये कि मजदूरी तथा व्यावसायिक सेवाओं के लिये भुगतान मदों के अन्तर्गत आउटसोर्सिंग से कार्मिकों की संख्या सम्बन्धित ईकाई में समकक्ष स्तर के स्वीकृत परन्तु रिक्त पदों की अधिकतम सीमा अन्तर्गत अथवा वित्त विभाग की पूर्व सहमति से स्वीकृत सीमा, इनमें से जो भी कम हो, के अन्तर्गत ही रहेगी।

(14) मानक मदों के आहरण प्रणाली के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-ब-06/X-2-2010-12(11)/2009 दिनांक 31 मार्च, 2010 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी.

(15) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को वर्षान्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय.

(16) निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृतियों से कराये जाने वाले कार्यों की सूचना यथा आवश्यकतानुसार सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के के शासनादेश सं0-1638/XXX-1-12(25)/2011 दिनांक 08 दिसम्बर, 2011 द्वारा अपेक्षित राज्य सरकार की वैब साइट www.ua.nic.in तथा विभाग की वैब साइट यदि कोई हो पर अनिवार्य रूप से प्रकाशि की जायेगी और उन्हें समय-समय पर अध्यावधिक किया जायेगा.

(17) निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति का आवंटन पत्र कम्प्यूटर के माध्यम से जनरेट किया गया है एवं इसका Allotment Id S1310270188 है। आप भी अपने स्तर से अधिनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों को कम्प्यूटर के माध्यम से Online बजट आवंटन करना सुनिश्चित करेंगे.

(18) व्यय करने से पूर्व यह पुनः सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में इस स्वीकृति सहित अब तक अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष केन्द्रांश प्राप्त है/पूर्व वर्ष में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष केन्द्रांश उपलब्ध है और यदि यह पाया जाता है कि अनुपातिक केन्द्रांश अप्राप्त है अथवा अपूर्ण प्राप्त है, तदनुसार ही कम धनराशि व्यय की जायेगी। केन्द्रांश की अग्रेत्तर किश्त से समायोजित करा ली जायेगी।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष अनुदान सं0-27 के लेखाशीर्षक 2406-वानिकी तथा वन्य जीवन 01- वानिकी 800-अन्य व्यय 01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना 05-इन्टेसिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेन्ट योजना हेतु निम्नलिखित तालिका में अंकित विवरणानुसार संगत मदों के नामे डाला जायेगा एवं इस प्रयोजन हेतु ऑन लाइन बजट आवंटन हार्ड कॉपी भी संलग्न है।

(धनराशि ₹ हजार में)

अनुमोदित स्वीकृत वार्षिक योजना	अवमुक्त धनराशि	मानक मद	आय-व्ययक का प्रावधान	वर्तमान वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव	पुनर्विनियोग	अभ्युक्ति
केन्द्रांश ₹ 39138.00 सम्तुल्य राज्यांश ₹ 4349.00 योजना कुल योग ₹ 43487.00	(1) केन्द्रांश की प्रथम किस्त ₹ 29933.00 (2) गत वर्ष की अव्ययित धनराशि का समायोजन ₹ 1377.00 (3) सम्तुल्य राज्यांश ₹ 3479.20 योग ₹ 34789.20	14- कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/मोटर गाड़ियों का क्रय	6000	0	-6000	मानक मद के अन्तर्गत भारत सरकार से कोई एक्टीविटी स्वीकृत न होने से बचत
		15- गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	200	0		
		16- व्यावसायिक अनुदान/ अंशदान	100	0		
		20- सहायक अनुदान/ अंशदान	1	0		
		25- लघु निर्माण कार्य	3000	875		
		26- मशीनें और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र	2000	0		

W

क्रमशः ---3---

		29- अनुरक्षण	12500	18500	6000	मानक मद के अन्तर्गत भारत सरकार से स्वीकृत एक्टीविटी के अनुसार आवश्यकता
		42- अन्य व्यय	10000	5939		
		44- प्रशिक्षण व्यय	2000	1025		
		46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/ सॉफ्टवेयर का क्रय	500	0		
		47- कम्प्यूटर अनुरक्षण	500	500		
		योग	36801	26839	0	

(वर्तमान वित्तीय स्वीकृति ₹ दो करोड़ अड़सठ लाख उन्तालीस हजार मात्र)

3. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या- 78 (P)/XXVII(4)/2012, दिनांक 09 अक्टूबर, 2013 द्वारा प्रदत्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है.

भवदीय

संलग्नक-यथोपरि.

(मनोज चन्द्रन)
अपर सचिव

संख्या- 3690 (A)(1)/X-2-2013, तद्दिनांकित.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. सहायक इन्सपेक्टर जनरल-1, वन (एफबीडी) वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार का पत्र सं0-3-8/2007-FPD दि0 08 जुलाई, 2013 के क्रम में सूचनार्थ।
2. महालेखाकार(लेखा एवं लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून।
3. महालेखाकार(आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलस, सी-1/105, इन्दिरानगर, देहरादून।
4. प्रमुख वन संरक्षक(वन्य जीव)/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, शिविर कार्यालय-देहरादून।
5. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन तथा लेखा परीक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. मुख्य वन संरक्षक, सर्तकता एवं कानून प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
9. अपर सचिव, वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
10. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल।
11. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, कार्बेट टाइगर रिजर्व, उत्तराखण्ड, रामनगर(नैनीताल)।
13. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून।
14. निदेशक, कोषागार एवं वित्त एवं सेवायें, वित्तीय डाटा सेन्टर, 23-लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
15. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
16. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून।
17. प्रभारी, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
18. प्रभारी, मिडिया सेन्टर, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।

(मनोज चन्द्रन)
अपर सचिव

प्रपत्र बी-एम0-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति हेतु आवेदन

अनुदान संख्या-27

वित्तीय वर्ष – 2013-14

2406-वानिकी तथा वन्य जीवन

01- वानिकी

800-अन्य व्यय

01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

05-इन्टेसिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेन्ट योजना (90 प्रतिशत केन्द्रीय सहायतित)

(धनराशि रुपयों में)

निम्नलिखित निधियों को प्रस्तावित अंतरण				वित्त विभाग द्वारा भरा जावे		निम्नलिखित निधियों को प्रस्तावित अंतरण				वित्त विभाग द्वारा भरा जावे	
लेखे का शीर्षक (15 अंकीय कूट में आयोजनागत/ आयोजनेतर)	आवेदन की तिथि का उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवेदन की तिथि को उपलब्ध बचत राशि	अंतरित की जाने वाली राशि	वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत अंतरण हेतु राशि	अंतरण के पश्चात अवशेष अनुदान/ विनियोग (2-5)	लेखे का शीर्षक (15 अंकीय कूट में आयोजनागत/आयोजनेतर)	वित्तीय वर्ष हेतु उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वर्ष के दौरान अनुमानित कुल व्यय	अंतरण प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत अंतरण हेतु धनराशि	अंतरण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग(8+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2406-01-800-01-05-14	6000	6000	6000	6000	0	2406-01-800-01-05-29	12500	18500	6000	6000	18500
योग -	6000	6000	6000	6000	0		12500	18500	6000	6000	18500

प्रमाणित किया जाता है कि पैरा-133 व 134 में निर्धारित शर्तों एवं सीमाओं का इस पुनर्विनियोग में उल्लघंन नहीं किया गया है।

संख्या - 3679 (1)/X-2-2013 दिनांक 12(39)2006 अक्टूबर, 2013

सेवा में,

महालेखाकार (ए एण्ड ई)
उत्तराखण्ड, देहरादून।

(मनोज चन्दन)
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन

(डॉ0 एम0सी0जोशी)
अपर सचिव, वित्त
उत्तराखण्ड शासन

(डा0 एम. सी. जोशी)
अपर सचिव
वित्त विभाग
उत्तराखण्ड शासन

उत्तराखण्ड शासन

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2

संख्या - 3690(4) (2)/X-2-2013-12(39)/2006 दिनांक 25 अक्टूबर, 2013

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. महालेखाकार (लेखा एवं लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. अपर सचिव, वित्त अनुभाग-4 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

(एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव, वित्त
उत्तराखण्ड शासन

(डा0 एम. सी. जोशी)
अपर सचिव
वित्त विभाग
उत्तराखण्ड शासन

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20132014

Secretary, Forest (S016)

369(A)

आवंटन पत्र संख्या - /X-2-2013-12(39)/2006

अनुदान संख्या - 027

अलोटमेंट आई डी - S1310270188

HOD Name - Principal Chief Conservator of Forest (4260)

आवंटन पत्र दिनांक 21-Oct-2013

1: लेखा शीर्षक 2406 - वानिकी तथा वन्य जीवन

800 - अन्य व्यय

05 - इन्टैन्सीफिकेशन आफ फोरेस्ट मैनेजमैंट (90 % के0 स0

01 - वानिकी

01 - केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योज

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
25 - लघु निर्माण कार्य	0	875000	875000
29 - अनुरक्षण	0	18500000	18500000
42 - अन्य व्यय	0	5939000	5939000
44 - प्रशिक्षण व्यय	0	1025000	1025000
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी	0	500000	500000
	0	**26839000**	**26839000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 26839000